संख्या–3817 / 30–4–24 केएम–86

प्रेषक,

सचिव,
परिवहन विभाग,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

दिनांकः 31 अक्टूबर, 1986

विषयः सरकारी गाड़ियों को निष्प्रयोज्य घोषित करने का मापदण्ड।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सरकारी गाड़ियों को निष्प्रयोज्य घोषित करने के सम्बन्ध में निर्देश, शासनादेश सं0–(1) 1274टी / 30–4–33जेवी–65, दि0 22 मार्च, 77 (2) सं0–1793 टी–30–4–24 केएम–76, दि0 17 जुलाई, 78 तथा (3) सं0–6766–टी / 30–4–24 केएम / 76, दिनांक 15 जनवरी, 1981 मे दिये गये है। निष्प्रयोज्य गाड़ियों के निस्तारण में होने वाले अनावश्यक विलम्ब को समाप्त करने के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय अब सरकारी गाड़ियों को निष्प्रयोज्य घोषित करने के लिए विभागाध्यक्षों को अधिकृत करते है व उसके लिए निम्नलिखित प्रकिया व मापदण्ड निर्धारित करते है :–

(1) **तीन टन व उससे अधिक क्षमता वाली डीजल चालित भारी मोटर गाड़ियाँ–**

(क) **मैदानी मार्ग**– मैदानी मार्गो पर चलने वाली उन भारी मोटर गाड़ियों को जो कम से कम 15 वर्ष चल चुकी हो अथवा जिन्होंने 4.50 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर ली हो, निष्प्रयोज्य घोषित करने के लिए विचार किया जा सकता है।

(ख) **पहाड़ी मार्ग**– पहाड़ी मार्गो पर चलने वाली उन भारी मोटर गाड़ियों को जो कम से कम 10 वर्ष चल चुकी हो या जिन्होनें 3.25 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर ली हो, निष्प्रयोज्य घोषित करने के लिए विचार किया जा सकता है।

(2) **तीन टन व उससे अधिक क्षमता वाली पेट्रोल चालित मोटर गाड़ियाँ–**

(क) **मैदानी मार्ग**– मैदानी मार्गो पर चलने वाली उन पेट्रोल इंजन द्वारा चालित ट्रान्सपोर्ट गाड़ियों की, जो कम से कम 12 वर्ष तक चल चुकी हों या जिन्होंने

2.25 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर ली हो, निष्प्रयोज्य घोषित करने के लिए विचार किया जा सकता है।

(ख) **पहाड़ी मार्ग–** पहाड़ी मार्गो पर चलने वाली उन पेट्रोल इंजन द्वारा चालित भारी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को जो कम से कम 8 वर्ष चल चुकी हों या जिन्होने 1.60 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर ली हो, निष्प्रयोज्य घोषित करने के लिए विचार किया जा सकता है।

3– **तीन टन से कम क्षमता वाली हल्की तथा सामान्य मोटर गाड़ियाँ–**

(क) **मैदानी मार्ग–** मैदानी मार्गो पर चलने वाली उन हल्की तथा सामान्य गाड़ियों को जो कम से कम 10 वर्ष चल चुकी हों या जिन्होंने 1.75 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर ली हो, निष्प्रयोज्य घोषित करने के लिए विचार किया जा सकता है।

(ख) **पहाड़ी मार्ग–** पहाड़ी मार्गो पर चलने वाली उन हल्की तथा सामान्य गाड़ियों को जो कम से कम 8 वर्ष चल चुकी हों या जिन्होने 1.50 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर ली हो, निष्प्रयोज्य घोषित करने के लिए विचार किया जा सकता है।

4– **मोटर साइकिल/स्कूटर–**

(क) 3.5 हार्स पावर (आर0ए0सी0) या अधिक शक्ति के इंजन वाली गाड़ियों को 1,00,000 किलोमीटर की दूरी तय करने या 5 वर्ष की अवधि पूरी करने के पश्चात् निष्प्रयोज्य घोषित करने के लिए विचार किया जा सकता है।

(ख) 3.5 हार्स पावर (आर0ए0सी0) से कम शक्ति के इंजन से युक्त गाड़ियों को कम से कम 60,000 किलोमीटर की दूरी तय करने या 5 वर्ष की अवधि के पश्चात् निष्प्रयोज्य घोषित करने पर विचार किया जा सकता है।

5– **जीप ट्रेलर अथवा अन्य गाड़ियों द्वारा खीचे जाने वाले ट्रेलर–**

1– मैदानी मार्गो पर 12 वर्ष तथा पर्वतीय मार्गो पर 10 वर्ष चलाने के पश्चात् ट्रेलर को निष्प्रयोज्य घोषित करने पर विचार किया जा सकता है।

2– इसके अतिरिक्त सरकारी गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने या गाड़ी का संचालन व मरम्मत मितव्ययी न होने की दशा में अत्यन्त विशेष परिस्थतियों में अथवा मापदण्डों को पूर्ण न करने की दशा में परिवहन आयुक्त द्वारा गठित तकनीकी अधिकारियों की एक समिति द्वारा की गयी प्राविधिक जांच के आधार पर परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा गाड़ी को निष्थप्रयोज्य घोषित करने पर विचार किया जा सकता है।

3– उपरोक्त प्रस्तर (1) से (5) में दिये गये निर्देशानुसार वाहन/ट्रेलर का निष्प्रयोज्य प्रमाण–पत्र संलग्न प्रारूप में जारी करते समय विभागाध्यक्ष यह प्रमाण भी अंकित करेंगे कि वाहन की मरम्मत पर व्यय की गयी धनराशि (ईधन को छोड़कर) वाहन की क्रय धनराशि से अधिक नही है तथा वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित किया जाना आर्थिक दृष्टि से मितव्ययी है। वाहन के निष्प्रयोज्य प्रमाण–पत्र में न्यूनतम मूल्य

का भी उल्लेख होगा। न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिए विभागाध्यक्ष, जिले या क्षेत्र में स्थित परिवहन आयुक्त संगठन के कार्यालय के प्राविधिक निरीक्षकों की सहायता प्राप्त करेंगे।

4– वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने के उपरान्त विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि वाहन की मरम्मत व ईधन पर कोई व्यय न किया जाये तथा वाहन की नीलमी तीन माह के अंदर अवश्य सम्पन्न कर ली जाये।

5– यह शासनादेश सचिवालय पूल की गाड़ियों पर लागू नही होगा।

6– शासनादेश सं0–(1) 1274टी/30–4–33जेवी/65, दि0 22 मार्च, 1977 (2) सं0–1793टी/30–4–24 केएम/76, दिनांक 17 जुलाई, 78 तथा (3) 6766टी/20–4–24 केएम/76 दि0 15 जनवरी, 1981 उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाये।

अशासकीय संख्या

नोट :– ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–7–2172/दस/86 दिनांक 22–10–86 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय

जगदीश खट्टर,

सचिव

संख्या–3817 (1)/30–4–24 के एम/76, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2– समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

4– विधानसभा/विधान परिषद सचिवालय, उत्तर प्रदेश।

5– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–7।

6– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से

कृपाल सिंह घपोला,

संयुक्त सचिव

(7)

संख्या–1288 (11)/30–4–2002–24 के0एम0/76

प्रेषक,

श्रीमती मंजुलिका गौतम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 11 जून, 2002

विषयः सरकारी गाड़ियों को निष्प्रयोज्य घोषित करने का मापदण्ड।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–2747/30–4–97–24 के0एम0/76 दिनांक 04 अक्टूबर, 1997 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वर्तमान में यूरो प्रदूषण मानक लागू होने के कारण अत्याधुनिक टेक्नोलाजी वाली अनेक कम्पनियों की वाहनों के माडल बाजार में आ जाने के फलस्वरूप पुरानी नान यूरो वाहन के बाजार मूल्य में अत्यधिक गिरावट आयी है तथा वर्तमान में निर्माण की जा रही वाहनों के मूल्य में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप निष्प्रयोज्य सरकारी वाहनों की नीलामी मूल्य प्राप्त नही हो पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में अनेकों वाहन सरकारी कार्यालयों में नीलामी के अभाव में खड़ी हुई हैं।

उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु राज्यपाल महोदय सरकारी गाड़ियों को निष्प्रयोज्य घोषित करने विषयक शासनादेश सं0–2747/30–4–97, दि0 4.10.1997 के प्रस्तर–2 द्वारा निर्धारित प्रकिया में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रकिया व मापदण्ड निर्धारित करते हैं :–

"प्रस्तर–2" द्वारा निर्धारित न्यूनतम नीलामी मूल्य को आरक्षित न्यूनतम नीलामी मूल्य के रूप में रखा जाये और यह प्रयास किया जाये कि वाहन न्यूनतम आरक्षित मूल्य पर ही नीलामी की जाये किन्तु यदि स्थानीय समाचार–पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार के बाद भी न्यूनतम नीलामी मूल्य पर वाहन की नीलामी सम्भव न हो और यदि नीलामी समिति यह उचित समझे कि प्राप्त अधिकतम मूल्य वाहन की भौतिक स्थिति एवं बाजार मूल्य के दृष्टिगत उचित है और पुनः व्यापक प्रचार–प्रसार को

उपरान्त भी अधिक मूल्य प्राप्त होने की सम्भावना नही है तो समिति वाहन की वर्तमान भौतिक दशा एवं बाजार मूल्य के दृष्टिगत नीलामी में प्राप्त अधिकतम मूल्य पर वाहन नीलाम कर सकती हैं। परन्तु यदि नीलामी समिति यह समझती है कि प्राप्त अधिकतम मूल्य वाहन की भौतिक दशा एवं बाजार मूल्य को देखते हुए उचित नही है तो नीलामी समिति द्वारा पुनः व्यापक प्रचार–प्रसार के पश्चात् वाहन की नीलामी की कार्यवाही सम्पन्न करायी जाये।

3– यह शासनादेश सचिवालय पूल की गाड़ियों पर लागू नही होगा।

4– प्रश्नगत विषय से सम्बन्धित दि0 22.03.77, 17.07.78, 15.01.81, 31.10.86, 07.02.95, 18.02.97 एवं 4.10.97 के शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेगे।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–ई–9/438/दस/2002, दि0 06.06.2002 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय
मंजुलिका गौतम,
प्रमुख सचिव।

संख्या–1288 (11) (1)/30–4–2002–24 के0एम0/76 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेयित :–

1– परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2– समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

4– विधानसभा/विधान परिषद सचिवालय, उत्तर प्रदेश।

5– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–9।

6– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

7– संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि वह कृपया इस शासनादेश की 2000 प्रतियां परिवहन अनुभाग–4, उ0 प्र0 सचिवालय (बापू भवन), लखनऊ को तत्काल भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से
मंजुलिका गौतम,
प्रमुख सचिव।

(6)

महत्वपूर्ण / प्राथमिकता

संख्या–1914 / 30–4–2002–38 / 90

प्रेषक,

श्रीमती मंजुलिका गौतम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5– क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।

लखनऊ: दिनांक: 5 अगस्त, 2002

विषय: सरकारी विभागों की निष्प्रयोज्य गाड़ियों की नीलामी।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निष्प्रयोज्य सरकारी गाड़ियों की नीलामी हेतु शासनादेश संख्या–1274टी / 30–4–33 जेवी / 85, दिनांक 22 मार्च, 1977 तथा शासनादेश सं0–3550टी / 30–4–33 जेवी / 85, दिनांक 13 अप्रैल, 1987 द्वारा विभागाध्यक्षों को अधिकृत किया गया था। तत्पश्चात नीलामी का कार्य और अधिक सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से शासनादेश सं0–4446टी / 30–3–38 / 90, दिनांक 17 दिसम्बर, 1990 द्वारा उक्त नीलामी हेतु उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ / मेरठ स्थित क्षेत्रीय प्रबन्धक (परिक्षेत्र) द्वारा किये जाने की व्यवस्था कर दी गयी थी।

2– उपरोक्त व्यवस्था लागू हो जाने के उपरान्त निष्प्रयोज्य वाहनों को नीलामी स्थल तक पहुंचाने में होने वाली असुविधाओं को देखते हुए शासनादेश सं0–3087टी / 30–4–38 / 90 दिनांक 27 अगस्त, 1992 द्वारा विभागाध्यक्ष तथा राज्य मुख्यालय लखनऊ में स्थित विभागाध्यक्षों एवं शासन स्तर पर प्रयुक्त होने वाले वाहनों की नीलामी हेतु सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक को प्राधिकृत करने के साथ-साथ जिला स्तर एवं मण्डलीय स्तर पर भी समितियां गठित की गयी।

3– शासन के संज्ञान में यह बात आयी है कि उक्त प्रक्रिया से [illegible]

समुचित लाभ नहीं हुआ क्योंकि उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा वाहनों की नीलामी से प्राप्त धनराशि में से 10 प्रतिशत काटकर शेष राशि विभाग को भुगतान करने की प्रक्रिया पूरी नही की जा रही है। अतः राज्यपाल महोदय तात्कालिक प्रभाव से ऊपर संदर्भित शासनादेश संख्या–3087टी/30–4–38/90 दिनांक 27 अगस्त, 1992 द्वारा की गयी व्यवस्था एवं उसमें कतिपय संशोधनों को सम्मिलित करते हुए यह निर्देश देते हैं कि भविष्य में वाहनों की नीलामी निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबद्धों के अधीन की जायेंगी :–

(1) विभागाध्यक्ष वर्तमान शासनादेश सं0–3817/30–4–24 के0एम0/86, दिनांक 31 अक्टूबर, 1986 के अनुसार वाहनों को पूर्व की भांति संलग्न प्रपत्रानुसार निष्प्रयोज्य घोषित करेंगे।

(2) शासन स्तर एवं विभागाध्यक्ष स्तर पर प्रयुक्त होने वाले वाहनों की नीलामी शासनादेश सख्या–4446टी/30–4–38/90 दिनांक 17.12.1990 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन क्रमशः निम्नलिखित समिति द्वारा की जायेगी:–

(क) शासन स्तरीय समिति–

(1) परिवहन आयुक्त या उनके प्रतिनिधि — अध्यक्ष

(2) विभागाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के कार्य में परिवहन की व्यवस्था का राजपत्रित प्रभारी, जिसे विभागाध्यक्ष नामित करेंगे। — सदस्य

(3) परिवहन आयुक्त कार्यालय में नियुक्त तकनीकी कर्मचारी/अधिकारी, जो सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) से निम्न स्तर का न हो — सदस्य

(ख) लखनऊ, कानपुर एवं इलाहाबाद स्थित विभागाध्यक्ष स्तरीय समिति–

(1) विभागाध्यक्ष या उनके द्वारा नामित अधिकारी, जो अतिरिक्त विभागाध्यक्ष से कम स्तर का न हो — अध्यक्ष

(2) कार्यालयाध्यक्ष या उनके द्वारा नामित अधिकारी — सदस्य

(3) सम्भागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ/इलाहाबाद, कानपुर या उनके द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी, सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) से निम्न स्तर का न हो। — सदस्य

ग– जिले स्तर पर प्रयुक्त होने वाले वाहनों की नीलामी जिला मुख्यालय पर तथा मण्डलस्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त वाहनों की नीलामी मण्डल स्तर पर शासनादेश संख्या–3550/30–4–33 जेवी/85, दिनांक 13.4.1987 में यथा संशोधित नीलामी प्रक्रिया के अनुसार क्रमशः निम्न समितियों द्वारा की जायेगी :–

(क) जिलास्तरीय समिति–

(1) जिलाधिकारी — अध्यक्ष

(2) सम्बन्धित विभागीय अधिकारी — सदस्य

(3) सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन

अधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी, जो सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) से निम्न स्तर का न हो सदस्य

(ख) मण्डलस्तरीय समिति–

(1) मण्डलायुक्त अध्यक्ष

(2) सम्बन्धित विभागीय अधिकारी सदस्य

(3) सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी, जो सहायक संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) से निम्न स्तर का न हो सदस्य

4– जनपद एवं मण्डल स्तर पर नीलामी की कार्यवाही प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार की जायेगी। परिवहन विभाग के मण्डल स्तरीय अधिकारी का यह दायित्व होगा कि जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त से सम्पर्क करके प्रत्येक त्रैमास हेतु नीलामी की तिथि निश्चित करें एवं उसकी सूचना सम्बन्धित सभी अधिकारियों को दे दें।

5– निष्प्रयोज्य गाड़ियों की नीलामी करने से पूर्व न्यूनतम मूल्य का निर्धारण परिवहन आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी के परामर्श से उनके द्वारा संस्तुत मूल्य के आधार पर विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

6– विभागीय अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे गाड़ियों के निष्प्रयोज्य होने के तुरन्त बाद उसकी नीलामी सुनिश्चित करें और प्रत्येक दशा में 6 माह के अंदर उसकी नीलामी अवश्य कर दें।

7– मुझे यह भी कहना है कि विभिन्न विभागों में इस शासनादेश के जारी होने की तिथि तक जितने भी वाहन निष्प्रयोज्य घोषित किये जा चुके हों उनकी शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर उपरोक्तानुसार नीलामी सुनिश्चित कर ली जाये।

8– शासनादेश सख्या–1274टी/30–4–33 जेवी/85, दिनांक 22 मार्च, 1977, शासनादेश संख्या–3550/30–4–33 जेवी/85, दिनांक 13 अप्रैल, 1987, शासनादेश संख्या–4446टी/30–4–38/90, दिनांक 17.12.1990 तथा शासनादेश संख्या–3087/30–4–38/90, दिनांक 27.08.92 इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। इन आदेशो की प्राप्ति स्वीकार करने और कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।